

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान।

-----:: नोटिस ::-----

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पत्रांक 1035 दिनांक 27.06.2024 में निहित निर्देश तथा **Regulation "8" of NALSA (free and Competent Legal Services) Regulation, 2010 (Amended dated 19-09-2019)** और जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जि० वि० से० प्रा०, सिवान के आदेश दिनांक 05.05.2026 के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान में विभिन्न विधिक कार्यों हेतु नये पैनल अधिवक्ताओं (Panel Lawyers) और रिटेनर अधिवक्ताओं (Retainer Lawyers) के पैनल चयन (empanelment) करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

1. ऐसे अधिवक्ता जिनका **दिनांक 01.01.2026 तक** कम-से-कम तीन वर्षों का विधि व्यवसाय का अनुभव हो, वे अपने विधिज्ञ संघ के अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अन्य प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया-प्रति संलग्न करते हुए, इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में दिनांक **06.05.2026 से 16.05.2026 तक** अपना आवेदन जिला अधिवक्ता संघ, सिवान के माध्यम से सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान के पते पर कार्यालय अवधि (01:30 बजे तक) में अपना आवेदन हाथो-हाथ जमा कर सकते हैं या निबंधित डाक से भेज सकते हैं (कम से कम तीन वर्ष के विधि व्यवसाय अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति/मूल प्रति अवश्य संलग्न होना चाहिए)। पैनल में एस०सी०/एस०टी० एवं महिला का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
2. **आवेदक की पात्रता एवं शर्तें :-**
 - आवेदक भारत का नागरिक हों एवं सिवान जिला का निवासी हों।
 - जिला विधिज्ञ संघ सिवान में सक्रिय सदस्य हों।
 - विधि व्यवसाय में तीन वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हों।
 - विधिक सेवा के कार्य में रुचि रखते हों।
 - आवेदक का चरित्र अच्छा हों तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप में स्वस्थ हों।
 - आवेदक के विरुद्ध यदि कोई आपराधिक मामला पंजीकृत हो या लंबित हो या आवेदक किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध पाए गए हों या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय /प्राधिकारण के द्वारा कोई जिम्मेदारी का पद धारित करने से वंचित किया गया हो, तो उसका विवरण, शपथ-पत्र के साथ दें।
3. **अनुलग्नक:-**बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद एवं जिला विधिज्ञ संघ के सदस्य होने का प्रमाण-पत्र।
4. उपरोक्त 30 पैनल अधिवक्ताओं का कार्यकाल अनुमोदन की तिथि से 03 वर्ष का होगा।

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान।

ज्ञापक **1181-86** दिनांक **05-05-2026** / जि० वि० से० प्रा०, सिवान।

- प्रतिलिपि:-
1. श्रीमान अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिज्ञ संघ, सिवान को सिवान जिला के विद्वान अधिवक्तागण को जानकारी देने एवं संघ के नोटिस बोर्ड पर चरपा एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान के नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु प्रेषित।
 3. श्रीमान जिला पदाधिकारी -सह- उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान के नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु प्रेषित।
 4. श्रीमान जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, सिवान को समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार के रूप में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।
 5. सिस्टम ऑफिसर, व्यवहार न्यायालय, सिवान को सिविल कोर्ट, सिवान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 6. कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान के नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,

सिवान।
05-05-2026

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान।

(पैनल अधिवक्ता हेतु आवेदन पत्र)

स्व-अभिप्रमाणित नवीनतम
पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम:-.....

2. पिता/पति का नाम (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएँ)-----

3. जन्म तिथि:-

3 (क) दिनांक 05.05.2026 तक उम्र:-

4. श्रेणी (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएँ) :-पुरुष/महिला/अन्य

5. स्थायी पता:-ग्राम/नगर.....पो0.....थाना.....
प्रखण्ड.....जिला.....राज्य.....पिन कोड.....मोबाईल नं0.....

6. वर्तमान पता:-ग्राम/नगर.....पो0.....थाना.....
प्रखण्ड.....जिला.....राज्य.....पिन कोड.....मोबाईल नं0.....

7. आवेदक का WhatsApp Number:-

8. आवेदक का ईमेल-

9. शैक्षणिक योग्यता :-

10. अन्य योग्यता :-

11. आवेदक की कोटि (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग)-(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएँ)

12. विधि स्नातक उत्तीर्ण होने का वर्ष :-

13. विधि व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष :-

14. पंजीकरण संख्या एवं वर्ष :-

15. विधि व्यवसाय में अनुभव (कम-से-कम तीन वर्ष) का प्रमाण पत्र (विवरण सहित संलग्न करें):-

16. किस प्रकृति के वादों में रुचि व अनुभव है तथा योगदान रहा है:- दीवानी/आपराधिक/घरेलू हिंसा/जे0 जे0 बोर्ड/संवैधानिक/श्रम विधि/अन्य कोई हो :-

17. नि:शुल्क/स्वेच्छा से गरीबों वंचितों आदि के लिए किये गये कार्यों का विवरण:-

18. विधिक सेवा में अनुभव का विवरण:-

क. क्या आप पूर्व में पैनल अधिवक्ता रहे हैं? (हाँ / नहीं)

ख. यदि हाँ तो पैनल अधिवक्ता के रूप में कार्य का विवरण

19. Number of cases as Panel Lawyer-.....

20. क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं या दिव्यांग हैं (यदि हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

21. आवेदक उन मामले के प्रकार को विशेष उल्लेख करेंगे जिनमें उन्हें विधि व्यवसाय सौंपे जाने पर प्राथमिकता देते हैं:-

22. आवेदक इस आशय का स्वप्रमाणित शपथ-पत्र दे कि उनका स्वयं का कोई मुकदमा किसी न्यायालय में लम्बित है अथवा नहीं।

23 पिछले तीन वर्षों में अधिवक्ता के रूप में जिन वादों में कार्य किया है, उनकी विवरणी संलग्न करें :-

Number of cases handled (Private Practice)-.....

24. क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक/दीवानी मुकदमा दर्ज है?

25. क्या स्वयं आपका या आपके निकटतम किसी व्यक्ति का कोई वाद इस व्यवहार न्यायालय, सीवान में लंबित है तो उसका वाद संख्या, पक्षकार का नाम व न्यायालय का नाम:-

26. किसी आपराधिक वाद में आपके विरुद्ध कोई दण्डादेश पारित है, या लंबित है, यदि हाँ तो उसका विवरण:-

27. आवेदक किस प्रकार के वादों के निस्तारण के लिए पैनल अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं?:-

नोट:- उम्मीदवार के पास कानून के प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव के प्रमाण के साथ बार एसोसिएशन में कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

उद्घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ एवं संलग्न प्रमाण-पत्र सही हैं और कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर पंजीयन सं० सहित

---:घोषणा:---

मैं श्री/श्रीमति/सुश्री.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन में दिया गया विवरण मेरे ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा मैं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना का सहयोग एवं उनके द्वारा दिये गए निर्देश का पालन करूँगा/करूँगी। मेरा झुकाव व मेरी रूची गरीबों/वंचितों को विधिक सेवा देने की ओर है और पैनल में यदि मेरा चुनाव होता है तो मैं विधिक सेवा में निःस्वार्थ भाव से तत्पर रहूँगा/रहूँगी तथा इसका निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी से साथ करूँगा/करूँगी। यदि उक्त सेवा के बदले कार्यालय द्वारा जो भी सेवा के रूप में भुगतान मिलेगा उसे स्वीकार करूँगा/करूँगी।

यदि मेरा चयन रिटेनर अधिवक्ता के रूप में होता है तो मैं उक्त कार्यवाही में कानूनी सहायता देने का कार्य करूँगा/करूँगी और कानूनी सहायता संबंधी वादों के लिए सदैव उपलब्ध रहूँगा/रहूँगी तथा Front Office में नियमित रूप से बैठक करूँगा/करूँगी।

स्थान :-.....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर पंजीयन सं० सहित

दिनांक:-.....

हिन्दी में.....

अंग्रेजी में.....

दिनांक:-

प्रति हस्ताक्षरित
सचिव, जिला अधिवक्ता संघ,
सिवान।